42

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1655/I/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.05.2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 95//2010-11 निगरानी

1- उमाशंकर पुत्र जगदीश प्रसाद गर्ग,
निवासी- पुरानी सब्जी मण्डी कैलारस, जिला-मुरैना (म.प्र.)

2- कोकसिंह पुत्र भोगीराम गुर्जर,
निवासी- शिवहरे गली कैलारस, जिला-मुरैना

3- श्रीमती कल्पना पत्नी विनोद कुमार गौड,
निवासी- ग्राम निरारा, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.)

4- केदारसिंह पुत्र श्री शंकर सिंह गुर्जर,
श्री किशन पुत्र अजमेर सिंह गुर्जर,
दोनों निवासीगण- ठाठीपुरा, परगना कैलारस, जिला-मुरैना (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

1- मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला-मुरैना (म.प्र.)

--असल अनावेदक

2- मुस. बैकुन्ठी वेवा धनीराम कुशवाह,

3- गौरीशंकर पुत्र धनीराम कुशवाह,

4- लक्ष्मीनारायण पुत्र धनीराम कुशवाह,

5- विमला पुत्री धनीराम

6- अजबसिंह पुत्र भगवानसिंह कुशवाह
निवासीगण कैलारस, जिला-मुरैना (म.प्र.)

-- तरतीवी अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदकगण

श्री अनिल श्रीवास्तवसूची अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 1
तरतीवी पक्षकार अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 6

आदेश

(आज दिनांक 2../03/2016)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 95/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24.05.2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– आवेदकगण के अभिभाषक एवं पैनल लायर के तर्क सुने गये। अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 6 तरतीवी पक्षकार है जिन्हें सुना जाना आवश्यक नहीं है।

3– प्रकरण का सारांश यह है कि कस्बा कैलारस के आराजी भूमि सर्वे क्रमांक 307/1 रकवा 2 बीघा 8 विस्वा (0.502 है0) भूमि का भूमि स्वामी एवं अधिपत्यधारी शासकीय अभिलेख में धनीराम पुत्र करनसिंह कुशवाह निवासी कैलारस भूमि स्वामी के रूप में दर्ज था उक्त भूमि पूर्व से ही धनीराम कुशवाह के नाम थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वार प्रकरण क्रमांक 1/02–03/बी–121 से दिनांक 26.02.2003 से भूमि स्वामी स्वत्व पर इन्द्राज कराया गया था। जिसके आधार पर उक्त भूमि कागजात पटवारी में भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज होने के कारण एवं धनीराम की मुत्यु के उपरान्त उनके वारिसान बैकुन्ठी, गौरीशंकर, लक्ष्मीनारायण, विमला के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर नामान्तरण हो जाने के उपरान्त उक्त वारिसानों द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.09.2007 से उक्त भूमि को अजब सिंह कुशवाह, उमाशंकर, कोक सिंह गुर्जर को सर्वे क्रमांक 307/1 रकवा 2 बीघा 8 विस्वा एवं 307/2 रकवा 3 विस्वा कुल 2 बीघा 11 विस्वा जिसके आधार पर क्रेतागण अजब सिंह कुशवाह एवं उमाशंकर तथा कोकसिंह गुर्जर का कागजात पटवारी में अमल हुआ। अजब सिंह पुत्र भगवान सिंह द्वारा श्रीकिशुन पुत्र अजमेर सिंह को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.06.2008 से 20×50 यानि 1000 वर्गफीट का भूखण्ड अजब सिंह द्वारा ही केदार सिंह पुत्र शंकरसिंह को उक्त भूमि में से 30×50 यानि 1500 वर्गफीट का भूखण्ड दिनांक 11.07.2008 को विक्रय किया गया एवं अजबसिंह द्वारा ही श्रीमती कल्पना पत्नी विनोद

कुमार गौड को दिनांक 05.06.2008 को 30×50 यानि 1500 वर्गफीट का भूखण्ड विक्री किया गया। क्रेतागणों का नाम विधिवत् नामान्तरण पटवारी कागजात में किया गया उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 307/1 में कोई भी नहर किसी भी प्रकार से नहीं निकली है उक्त भूमि का कोई भी मुआवजा पूर्व भूमि स्वामी धनीराम को प्राप्त नहीं हुआ अक्श में से जो नहर निकाली गयी है वह नहर सर्वे क्रमांक 307 से कई खेत दूरी पर है जिसके कारण आवेदकगण ने विधिवत् भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा एवं समस्त कागजात भूमि स्वामी स्वत्व के देखने के उपरान्त उक्त भूमि के पंजीकृत विक्रय पत्र कराये एवं अपना नामान्तरण करवाया गया। कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा उपरोक्त प्रकरण को बिना किसी अधिकार के स्वमेव निगरानी में लिया जाकर आवेदकगण को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिसका विधिवत् जबाव आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत किया गया एवं बताया गया कि पूर्व से उक्त भूमि धनीराम के भूमि स्वामी स्वत्व एवं अधिपत्य की थी। धनीराम से पूर्व उक्त भूमि धनीराम के पिता करना के नाम थी सम्बत् 2006 से समस्त खसरा पंचशाला आदि की नकले लेकर आवेदकगण की ओर से कलेक्टर न्यायालय में पेश की गयी थी। तथा जबाव के समर्थन में यह सिद्व किया गया था कि उक्त भूमि धनीराम से पूर्व उनके पिता के नाम रही है और बाद में धनीराम के नाम आयी है इस प्रकार भूमि पर वारिसानो का विधिवत् नामान्तरण हुआ है जहॉ तक भूमि सर्वे क्रमांक 307 में नहर बनी होने का प्रश्न है तो वह नहर विवादित भूमि से कई खेत दूर है अर्थात् सर्वे क्रमांक 289, 292/2, 294 के कुछ भाग एवं 250/1 में से होकर निकली है जो सर्वे क्रमांक 307 से काफी दूरी पर है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2011 से प्रकरण की विधिवत् जॉच किये बिना गलत साक्ष्य के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है। कलेक्टर जिला मुरैना के आदेश के विरूद्व आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी थी जो पारित आदेश दिनांक 24.05.2012 से निरस्त की गयी है इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी की गयी है।

4– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

5– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा प्रकरण में कोई जॉच नहीं की गयी और न ही साक्ष्य ली गयी इस प्रकार आवेदकगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का सम्पूर्ण अवसर नहीं दिया गया इस संबंध में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये **2007 2 एस.सी.सी. 181, 2008 14 एस.सी.सी. 151 तथा ए.आई. आर 1991 एस.सी 1216, 2010 आर.एन. 101 उच्च न्या.।**

अभिभाषक द्वारा तर्को में यह भी बताया गया कि भूमि सर्वे क्रमांक 307 के संबंध में पूर्व खसरा अर्थात् सम्बत् 2006 से लगातार खसरा पंचशाला में भूमि स्वामी के रूप में करना पुत्र हरीमान काछी अभिलिखित था उसकी मुत्यु के उपरान्त धनीराम के वारिसान बैकुन्ठी आदि भूमि स्वामी रही है उनके द्वारा ही उक्त भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा अजबसिह कुशवाह, उमाशंकर, कोकसिंह गुर्जर को विक्री किया गया एवं अजब सिंह द्वारा उक्त भूमि में से पृथक–पृथक विक्रय पत्रों द्वारा केदार सिंह किशुन श्रीमती कल्पना आदि लोगों भूखण्ड विक्रय किये गये है उक्त भूमि में से कभी कोई नहर नही निकली उक्त सर्वे क्रमांक 307 से कई खेत दूरी पर अर्थात् भूमि सर्वे क्रमांक 289, 292/2, 250/1 में से होकर नहर निकली है जिसके संबंध में अक्श की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। भूमि सर्वे क्रमांक 307 का कुछ वर्षो से खसरा पंचशाला में नहर की एन्ट्री गलत रूप से बिना किसी अधिकार के अथवा आदेश के की गयी है। जो अधिकारिता रहित है तथा समाप्त किये जाने योग्य है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.02.2003 से आदेश पारित कर धनीराम के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर इन्द्राज कराया गया है। इस तथ्य पर अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया गया है। अतः पुनरीक्षण न्यायालयों के आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया कि पूर्व भूमि स्वामी धनीराम के पिता करना के बाद धनीराम एवं उसके वारिसानों के नाम नामान्तरण हो चुकी है ऐसी स्थिति में उन्हे पंजीकृत विक्रय पत्र करने का वैधानिक अधिकार था। तत्पश्चात् आवेदकगण के हित में नामान्तरण हो चुका है उक्त भूमि किसी भी प्रकार से नहर तथा सिंचाई विभाग की नहीं है और न ही शासकीय है विक्रेताओं के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि है उक्त वैधानिक स्थितियो पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ

पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित किये गये वह अपास्त किये जाने एवं वर्तमान पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6– अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार सकारण आदेश पारित किया है, जिसे स्थिर रखा जाना आवश्यक है। अंत में वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। सन् 1986 आर.एन.1 सौदानसिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व मण्डल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय की याचिका के समान अधिकार प्राप्त हैं। राजस्व मण्डल, विवादित आदेश ही नहीं वरन् अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेशों पर विचार कर सकेगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समस्त आदेशों पर विचार किया जा रहा है। प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि भूमि सर्वे क्रमांक 307 के संबधं में पूर्व का खसरा अर्थात् सम्बत् 2006 से लगातार खसरा पंचशाला आदि में भूमि स्वामी के रूप में करना पुत्र हरिमान कांछी अभिलिखित था उसकी मुत्यु के उपरान्त धनीराम के वारिसान बैकुन्ठी आदि स्वामी रही है और उनके द्वारा उक्त भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्रों द्वारा अजबसिंह कुश्वाह, उमाशंकर, कोकसिंह गुर्जर को बिक्री किया गया है एवं अजब सिंह द्वारा उक्त भूमि में से पृथक-पृथक विक्रय पत्रों द्वारा केदार सिंह किशुन श्रीमती कल्पना आदि लोगो को विक्रय किये गये है जिसके पश्चात् विधिवत् नामान्तरण हुये है उक्त भूमि में से नहर नही निकली है नहर भूमि सर्वे क्रमांक 289, 292/2, 250/1 से होकर निकाली गयी है सर्वे क्रमांक 307 का कुछ वर्षो के खसरा पंचशाला में नहर की एन्ट्री गलत की गयी है जिसके संबंध में कोई विधिवत् आदेश सक्षम अधिकारी का नही है इस तथ्य पर विचार करने के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 26.02.2003 पारित कर भूमि धनीराम पुत्र करन सिंह के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये है जो अपने स्थान पर विधिवत् है जहॉ तक कलेक्टर जिला मुरैना के आदेश का प्रश्न है तो उन्होने उक्त प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया है। जबकि लम्बे समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में माननीय उच्च

न्यायालय द्वारा 2013 आर.एन.–8 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग 180 दिवस के पश्चात् नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किये बिना, जो आदेश पारित किया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त तथ्यों पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है इसलिये पुनरीक्षण न्यायालयो के आदेश विधिवत् नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैरना द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2012 एवं कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2011 विधिवत् एवं औचित्य पूर्ण नहीं होने से निरस्त किये जाते है फलतः अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2003 विधिसम्मत् होने से स्थिर रखा जाता हैं। इस आदेश का अमल तत्काल किया जाये।

(एम.के सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर